

### पात्रता:

- आवेदका को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए ।
- आवेदका 12वी कक्षा की छात्र होनी चाहिए ।
- आवेदका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य जाति का होना चाहिए ।
- आवेदका की वार्षिक आय रु. 15976 (ग्रामीण क्षेत्र) एवं रु. 21206 (नगरीय क्षेत्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा आवेदक बी. पी. एल श्रेणी का होना चाहिए ।
- आवेदिका को अविवाहिता होना चाहिए एवं उसकी आयु अनुदान वर्ष की जुलाई 01 पर 25 साल से कम या बराबर होनी चाहिए।
- संस्थागत स्तर पर छात्रा राज्य के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रही होनी चाहिए ।

### **आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-**

- ▲ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदत्त बी0पी0एल0 श्रेणी/बी0पी0एल0 कार्ड की सत्यापित प्रति।
- ▲ बी0पी0एल0 श्रेणी के अतिरिक्त निर्धारित आय हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
- ▲ अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र।
- ▲ परिवार रजिस्टर की नकल की मूल प्रति।
- ▲ हाईस्कूल अंकतालिका की छायाप्रति।
- ▲ ग्राम प्रधान/वार्ड मैम्बर द्वारा प्रदत्त अविवाहित प्रमाण पत्र।
- ▲ एफ0डी0आर0 हेतु- पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं एफ0डी0आर0 फार्म हस्ताक्षर सहित।
- ▲ वोटर आई0डी0/आधार कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति।
- ▲ विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत नांमाकन संख्या/रो0न0 प्रति।
- ▲ नवीन पासपोर्ट साईज फोटो।
- ▲ छात्रा या अभिभावक का मोबाईल नम्बर (एस0एम0एस सुविधा हेतु)
- ▲ ईमेल आई0डी0 (वैकल्पिक)